न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/03/2022	2022/95	19–10–2022	26–06–2024

1–रामकुंवार सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्ष्मण जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी व जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट/प्रार्थी

बनाम

1–तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर।
2–मदनसिंह पुत्र श्री लक्ष्णमण सिंह उर्फ लक्ष्मण, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण

रिव्यु प्रार्थना पत्र बमुकदमा संख्या 11/07/2022 बअनुवानी रामकुंवार सिंह बनाम, तहसीलदार थानागाजी व अन्य, निर्णय दिनांक 12/09/2022

उपस्थितः–

1.श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल। –वकील अपीलान्ट

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने रिव्यु प्रार्थना पत्र बमुकदमा संख्या 11/07/2022 बअनुवानी रामकुंवार सिंह बनाम,तहसीलदार थानागाजी व अन्य, निर्णय दिनांक 12.09.2022 प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष तहसीलदार थानागाजी के निर्णय दिनांक 19.05.1992 बाबत नामान्तकरण संख्या 128 ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर के विरूद्व उक्त अनुवानी अपील संख्या 11.07.2022 प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2022 को सादिर करते हुये प्राथी की अपील खारिज कर दी गई, जो निर्णय त्रुटिपूर्ण होने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत नही होने के कारण यह रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है, कि प्राथी द्वारा अपील में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया, जिससे यह साबित होता हो कि रामकुंवार सिंह व रामौतार सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है, तथा सरपंच ग्राम पंचायत भूडियावास का प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.2022 न्याय की दृष्टि से साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपील साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। प्रशनगत मामले में मिन अपीलान्ट ने अपील में यह कथन नही किया है, अपितु अपीलान्ट का कथन यह रहा है कि अपीलान्ट का नाम रामकुंवार सिंह है किन्तु आलोच्य इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम रामौतार सिंह दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है तथा अपीलान्ट ने अपनी पहचान के सम्बन्ध में आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान–पत्र, राशनकार्ड आदि साक्ष्य में पेश किये, जिनमें अपीलान्ट का नाम रामकुंवार सिंह दर्ज है। इसके अलावा अपीलान्ट ने अपने कथनों व दस्तावेजों की पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.2022 भी प्रस्तुत किया था, जिसमें अंकित किया गया है, अपीलान्ट का नाम रामकुंवार सिंह है तथा राजस्व रिकॉर्ड में रामकुंवार सिंह का नाम रामौतार सिंह लिखा गया है। इसलिए रामौतार सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रामकुंवार सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपील में यह अनुतोष नहीं चाहा था। कि राजस्व अभिलेख में दर्ज नाम रामौतारसिंह के साथ उर्फ रामकुंवार सिंह दर्ज कराया जावे। किन्तु तहत अदालत ने इस तथ्य को समझने में भूल की है। इसलिए आलोच्य निर्णय को रिव्यू किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस हेतु यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त प्रकार से तहत न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों को सही प्रकार से गौर नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

फरमाया गया है। इसलिए तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्विलोकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, तथा उसके द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र को बिना किसी आधार के गलत नही ठहराया जा सकता है तथा अपीलान्ट ने अपने कथनों की पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुतं किया है, जो कि मूल दस्तावेज है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे तथा इंतकाल संख्या 128 दिनांक 19.05.1992 राजस्व अभियान कैम्प विजयपुरा तहसीलदार थानागाजी, जिसमें मृतक लक्ष्मण सिंह पुत्र रघुवाथ सिंह कौम राजपूत निवासी ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी की विरासत इंतकाल में प्राथी का नाम रामकुंवार के स्थान पर रामौतार सिंह गलत दर्ज किया गया है, इसलिए प्रार्थी का नाम रामौतारसिंह के स्थान पर रामकुंवार सिंह दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, अंकतालिका की फोटोप्रति पेश की गयी है, जिसमें प्रार्थी के नाम रामकुंवार सिंह के स्थान पर रामौतार सिंह, अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील प्रार्थी की बहस, अपील में वर्णित कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार की जाती है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.09.2022 मे रामौतार सिंह के स्थान पर रामकुवार सिंह की हद तक रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 19.05.1992 नामान्तकरण संख्या 128 वाके ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी निरस्त किया जाता है। तथा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। कि प्रार्थी के दस्तावेजात का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। वकील प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 02 की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए रिव्यू प्रार्थना–पत्र में से रैस्पोडेन्ट संख्या 02 का नाम डिलिट किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)